

राजस्थान सरकार  
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गठित की जाने वाली  
विद्यालय प्रबन्धन समिति (School Management Committee) के गठन हेतु  
दिशा निर्देश

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

1200, 121

(ମେଲେବ କା ପାଇ ହେଲେ)  
ମେଲେବ ପାଇବ ଲାଗିଲା

### What is an IDE?

(प्रियालक्षण व्यापार के लिए वह आम होता है)  
दिशा-निर्देश

- समिति का नाम -  
इस समिति का नाम विद्यालय पुस्करण समिति संलग्नीय प्राधिकारक द्वारा पारामित  
विद्यालय होगा।

कार्यालय एवं कार्यशाला -  
इस समिति का कार्यालय में स्थापित होगा।

(विद्यालय का पूरा नाम छिपा)

समिति का कार्यशाला समिति के कार्यालय विद्यालय में पड़ने वाले गतिकोष व  
विद्यालय स्थानों तक होगा। परन्तु विकास कार्य केंद्र विद्यालय परिषद, विद्यालय से  
इन्हें लौट देना एवं विद्यालय से बचप्रिये राखनियों में दी कराये जा सकते।

समिति के उद्देश्य -  
समिति के उद्देश्य विद्यालय होगे -

  - विद्यालय के क्रिया कार्यालय/वाचकारण वर्गे गोपीनाथ नारायण।
  - विद्यालय के विकास के लिए विद्यालय विकास योजना वर्ग विषयाण, श्रीकृष्ण एवं  
विकास कोष कार्यकारी विद्यालय के बाहर लापरवाह एवं अन्य शैक्षिक  
सुविधाओं से सहभागिता विकास के कार्य किये जा सकते।
  - संस्कृत विद्यालय के लिए एक पाठ्यालय कोष कार्यकारी विद्यालय संबलीय  
सहायता व अन्य आवाहनों से वैतन, आवश्यक परिवासन व प्रसंगत व्यवहार  
विद्या जा सकते।

① विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अधिकारणों/रानकारणों राजनीत्य जनता एवं अन्य  
दानदाताओं से आर्थिक सहायता/दाना प्राप्त करना।

  - विद्यालय अवन के विद्यार्थ एवं अन्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की जन  
संलग्नीय आपारित योजनाओं से सख्त विकास कोष के योगदान के आधार पर  
विकास कार्य करवाना तथा इसी के साथ सहाय रास्कार, रथानीय प्रविष्टियाँ/  
संस्थाओं/विकासी अध्यक्ष अन्य स्तरों से साप्त सहायता/अनुदान के उपयोग पर  
उपरानी।
  - प्रारम्भिक शिक्षा नियम के लक्षणीय संवादित विषय वाली सामग्री का प्राप्त  
परिवर्तनाओं, केंद्र प्रवर्तीत कार्यक्रमों एवं केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के  
वित्तीय संस्थानों से संचालित योजनाओं/योग्यकार्यों संथा रावे शिक्षा अधिकारान्,  
आदि के अन्तर्गत विद्यालयों के विकास, यवन विषयाण, मरम्यत एवं रसायनात्मक  
शिक्षण अधिकार साधारी, शिक्षण अधिकार उपकरण, विद्यालय कार्यशाली ग्रान्ट,  
टीएसएम ग्रान्ट एवं अन्य योग्यता आदि अन्य मनों के अन्यान्य उत्तराधि कर्तव्य मई  
शिक्षणों/प्राकाशनों से विषयाण/विकास कार्य करवाना एवं योग्यता का युक्त  
सरकार/संस्था अधिकारी, अन्य प्राधिकृत संस्था क्रान्ति जारी रिक्षा निवेशों का  
अनुसार अपारोप सुनिश्चित करना।
  - अन्य उद्देश्य विरास राज्य की अंतर्राज्यीयों वर्ग विद्यालय अवगत एवं संस्था का  
वहतर विकास हो सका।

- 4. सदरस्या –**  
इस शिरोमि के सदरस्य निम्नलिखित हैं।
1. साधारणता में अवश्यकता प्रत्येक विद्यार्थी कालक ने आपा भी जो उत्तरक (याहु एवं बिला औंगों के जीवित व जीवों की इच्छाओं में सदरस्य)
  2. साधारणता विद्यार्थ्य का प्रत्येक अवश्यक व्यवहार।
  3. साधारणता कालकों ने विद्यार्थी कर्त्ता वारे विद्या भूमुख प्राप्ति विद्यार्थी कालक।
  4. संगीत कालकों ने विद्यार्थी कर्त्ता वारे वारप विद्या परिषेवा सदरस्य नाम पालिका पालन वारप।
  5. संगीत की कलाकारियों शिरोमि में विद्यार्थी गम्भीर शिष्य सदरस्य जो अपरोक्ष में शामिल नहीं हो।
- 5. राघवराण रामा –**  
शिरोमि के ज्यौ विद्यार्थी ५ में निर्णीत समर्पण प्रबन्ध के सदरस्य विकास राघवराण रामा का विनायक करें। शिरोमि ने कालक कालिकी शिरोमि का आवश्यक विद्यार्थ्य के सदरस्य राघवराण रामा के आवश्यक उपायों के सदरस्य शिरोमि द्वांते हैं।
- 6. सदरस्यों का वारपकरण –**  
शिरोमि के रामी सदरस्य साधारण सदरस्य होंगे।
- 7. सदरस्यों द्वारा चन्दा व शुल्क –**  
साधारण रामा के सदरस्यों द्वारा कोई शुल्क व चन्दा प्राप्ति से अनिवार्य नहीं होता। सदरस्य रायेवा ऐ चन्दा व शुल्क। शिरोमि ने राघवराण रामा जो विवाही अनुसार ऐ वारपकरण सदरस्यों शुल्क व चन्दा कर सकती है।
- 8. सदरस्यता की समाप्ति –**  
राघवराण रामा के सदरस्यों की सदरस्यता विद्या विद्यार्थी में रखत ही साधारण जीविती है।
1. भूत्यु होने पर।
  2. द्याव वष देने पर।
  3. निवाशित सदरस्यों के विद्यार्थी नहीं रहने पर।
  4. विद्यार्थी के विद्यार्थ्य छोड़ देने पर उसके पाला-पिता या संरक्षक की सदरस्यता स्थित समाप्त हो जायेगी।
  5. पदेन सदरस्य के पद पर नहीं राने पर।
- 9. साधारण समा के अधिकार एवं कर्त्तव्य –**
1. विद्यालय के परिवालग व्यव या; में आप-चाचा में अन्तर होने पर संस्कारों, रामायन जनना एवं अन्य सांवदाकारों से आश्विन सहायता/दान प्राप्त करने देहु वारपकरणी शिरोमि द्वारा प्रत्युत्त प्रत्याव पर विचार विषय एवं निषेग।
  2. विद्यालय के विकास हेतु आवश्यक विकास विधि के इष्टदला करने पर विचार विषय एवं निषेग।
  3. कालिकारियों शिरोमि द्वारा भेजे गये कार्यों की समीक्षा करना।
- नोट –** साधारण रामा में निर्णीय प्रथमतः सर्व सम्मति रो व रावं सम्मति से नहीं होने पर वहुपत से लिये जायेगे।
- 10. साधारण समा की वैठके –**
1. साधारण रामा की वैठक वर्ण वृत्ताङ्क से पावन वक्त वैठक अव्याहत तीन माह व एक वेदक अव्याहत तीनी विनिमय आवश्यकता पड़ते पर वेदक अव्याहत/सदरस्य सीधे द्वारा जानी जो कुलद जा सकती है।
  2. साधारण रामा की वैठक वक्त कारण कारण से कारण साधारण रामा के सदरस्यों की वैठक सम्मत कर २५ प्रतिशत रोपा।

3. नेतृत्व की शुरूआत भिन्न प्रकार के अनुभवों द्वारा नई शुरूआत की जाएगी।

4. गोलम के अंगत में स्थानीय मैदान पुरा त भिन्न परिवर्तन लेकी बिन्दियों द्वारा शुरू गई आधीनित होनी जारी रही स्थानीय नेतृत्व में गोलम की नई आधिकारिकता नहीं होगी। लौटीने भिन्नताओं द्वारा बदली जाएगी जो पुरी दृष्टिकोण में हो।

#### (ii) समिति की कार्यकारिणी समिति -

समिति के कामों के शुरूआत की जानकारी द्वारा दिए गए उपलब्धीकृत कार्यकारिणी समिति द्वारा इसमें से अनुभवों द्वारा जारी रखी जाएगी। उपलब्धीकृत कार्यकारिणी के नेतृत्व में 50 परिवर्तन घटेंगे और अधिकारित काम से कम त गहिराएं अपश्यक होंगे जो द्वारा भिन्नताओं का नियन्त्रण करने का उद्देश्य है। अनुभवों द्वारा दिए गए।

- कार्यकारिणी की समिति में गांव निवास वा राजनीति वाली दिवियों द्वारा नेतृत्व के बाल वे वार्षिक प्रतिवार्षीय द्वारा दिए गए 14 वार्षिक ये पुरी अनुभवों का उद्देश्य होगा।

- कार्यकारिणी समिति के आवश्यकिताएँ निम्न होंगे -

क्र. सं.	पद	व्यवहार प्रक्रिया	पूर्ण पक्ष
1.	अधिकारी	समिति की अनुभवों का नियन्त्रण द्वारा उपलब्धीकृत योगों द्वारा राजनीति वाली दिवियों द्वारा दिए गए स्थानीय नेतृत्व में से नायिकारिणी समिति द्वारा नियन्त्रित कार्यकारिणी समिति के नेतृत्व में दिए गए नियन्त्रिता।	
2.	उपराज्यकारी	समिति की अनुभवों का नियन्त्रण द्वारा उपराज्यकारी नेतृत्व में से नायिकारिणी समिति द्वारा नियन्त्रित कार्यकारिणी समिति के नेतृत्व में दिए गए नियन्त्रिता।	
3.	नायिक (ii)	समाजिक राज्य द्वारा उपराज्यकारी नियन्त्रण या स्थानीय नियन्त्रण में से नायिकारिणी समिति द्वारा नियन्त्रित कार्यकारिणी समिति के नेतृत्व में दिए गए नियन्त्रिता। इनमें से कम से कम 6 महिलाएँ। अनु जारी होने वाली अनुज्ञान जारी से सम्भवित हो।	
4.	पहुंच सदस्य (i)	ग्राम पंचायत/ग्राम पालिका के जिस बाई में विधालय नियन्त्रित हो, उस बाई का बाई पंच/पालिका	
5.	पहुंच सदस्य वीरेय (i)	प्रधानमंत्रीयाका/प्रधानमंत्रीयाका के बीच होने वाले परिवर्तन अव्यापक/प्रवोद्धक	
6.	नियन्त्रित महिला	नियन्त्रित के आवायकों द्वारा राजीवे हेतु नियन्त्रित एक अन्य महिला अव्यापक/प्रवोद्धक (यह उपराज्यकारी द्वारा अव्यापक/प्रवोद्धक	
7.	नायिक नियन्त्रित शास्त्रीय/वालक सदस्य (i)	समिति के गांव निवास वा राजनीति वाली दिवियों द्वारा नायिकारिणी द्वारा नियन्त्रित का नायिक हो।	
कुल सदस्य			15

पाठ - कार्यकारिणी समिति में महिला सदस्यों का नियन्त्रण/प्रवोद्धक इस प्रकार किया जायेगा, जिरासे कि समिति में कम से कम 7 महिलाएं आवश्यक रूप से रहें।

12. विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारिणी समिति का गठन  
विद्यालय प्रबन्धन समिति ने नवगतनरिणी का गठन विद्यालय सदस्यों की  
सहायता से एवं जीवं डिप्लोमिटों से विद्या जागीरा।
1. शब्द के प्रतीक साक्षात् वाचमित्र एवं उनके पाठ्यांकिक विद्यालय में विद्यालय  
प्रबन्धन समिति का योग्य नियम जागीरा। प्रतीक विद्यालय ने फौज-बाह्यापक  
शब्दीय प्रारोगिकों विद्यालय प्रबन्धन समिति के गठन के लिए अनुरोधों द्वारा।
  2. विद्यालय ने फौज-बाह्यापक एवं छात्र-बाह्यापक के नामी लिखे पर विद्यालय का  
प्रतीक अध्यापक प्रतीक समिति का योग्य सदस्य समिति होया।
  3. समिति की साधारण राजा जपान यात्रा नियम वा संखाक सदस्यों में से 11  
प्रतिसंमिति का चुनाव कार्यकारिणी समिति के लिए जारी हो। इन 11 सदस्यों में से  
कम से कम 6 बाहिलाल, एक अनुरूपित जारी एवं एक अनुसूचित जागीरा का  
प्रतिसंमिति आवश्यक रूप से होया।
  4. यथा प्रबन्धन/नगर पालिका/वारेंट के लिये वार्ड में विद्यालय नियम में ज्ञान  
प्राप्ति का नियमित वार्ड प्रबन्धन समिति का योग्य सदस्य होया।
  5. विद्यालय के अध्यापकों द्वारा नियमित एक अंग यात्रिला जागीरक/प्रतीक (यदि  
लपलका हो) अध्यापा पूर्ण अध्यापक/प्रतीक कार्यकारिणी समिति का सदस्य  
होया।
  6. राजिते के गांता-प्रिया वा राजाक सदस्यों में से प्रतिसंमिति एक सांघीय शिक्षा  
शासी अध्यापक विद्यालय का योग्य समिति का सदस्य होया।
  7. समिति में भारिला सदस्यों वी संख्या इस प्रकार नियमित की जायेगी जिससे कि  
समिति में नव से नव 7 बाहिलाल आवश्यक रूप से रहे।
13. कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव –
1. नवकारिणी समिति अपने अध्यक्ष तथा सांघीय का चुनाव कार्य कारिणी समिति  
द्वारा सामरण राजा द्वारा नियमित गांता-प्रिया वा राजाक सदस्यों में से  
करेगी। यह नियमित अध्यक्ष/संपाद्यक समिति की सामरण राजा के भी  
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष होये।
  2. विद्यालय का प्रबन्धनाध्यापक, प्राचारनाध्यापक के न होने पर विद्यालय नव बाहिलाल  
अध्यापक/प्रतीक समिति का योग्य सदस्य संचय होया।
  3. अध्यक्ष/संपाद्यक का गांवेकाल दो वर्ष अध्यक्ष तथा राजा रहेगा जब तक कि वह  
कार्यकारिणी समिति नव सदस्य रहे (दोनों में से जो भी कम हो)
- कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य –
1. अध्यक्ष के कार्य –
    - (1) विद्यालय प्रबन्धन समिति की साधारण राजा एवं कार्यकारिणी समिति की राजी  
वैद्यकों की अध्याद्यता नहना।
    - (2) वरावर गत आने पर नियमित गत देना।
    - (3) घटकों आहुता करना।
    - (4) समिति का प्रतिनिधित्व करना।
    - (5) सोविता के अंग दस्तावेजों पर दस्तावेज करना।
    - (6) आय वज्र पर नियमित रखना। कैशियर के पासगत सो होखे संघारित करना।
    - (7) समिति द्वारा नियमित अंग सभी कार्य करना।
  2. उपाध्यक्ष के कार्य –
    - (1) अध्यक्ष ने अनुरूपितों में अध्यक्ष के राजी कार्य समाप्ति करना जैसे कि उप  
रियों के नियम 14 (1) में दिये गए हैं।
    - (2) कार्यकारिणी समिति द्वारा किये गये आवश्यक कार्य करना।

- |    |     |   |
|----|-----|---|
|    | 3   | सदर्य संविध के गार्फ़ी  |
|    | (1) | केंद्र के नामे देखें इनका प्रभाव क्या है।   |
|    | (2) | केंद्र आठवीं लासो के अधिकार क्या है।  |
|    | (3) | केंद्र का नामे पढ़ी मिशन लोगों का इस विषय के बारे में जानकारी क्या है।  |
|    | (4) | समिति के दिव्य संबंधी रुपी अकड़े तोपार क्या है।   |
|    | (5) | अधिकृत गामी के समिति की ओर से उल्लेख क्या है।   |
|    | (6) | वहाँ निम्नलिख वाले अधिकार दोनों आठों नामे दिव्य लासों की सूचा है तोपार क्या है अन्य गामी अधिकृत गामी के नामे क्या है।   |
|    | (7) | उन सभी मुद्रों को देखें तोपार क्या है जो चरापी भावनाएँ व हृदय विद्युत समिति के गामी दोनों नामों आधारक है।   |
| 13 |     | कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल –   |
|    |     | कार्यकारिणी के गुणोंपि/विविध लक्षणों का कार्यकाल वो है जो अक्षय तथा द्वारा देखा जिया आया है वे समिति के विविध/प्रभावी विवरण देखे जानकारी दोनों से यही कार्यकारिणी के गुणोंपि/विविध लक्षणों का कार्यकाल आधारक है।  |
| 16 |     | कार्यकारिणी समिति के कार्य/कृत्य/कर्तव्य –  |
|    |     | कार्यकारिणी गुणोंपि के कार्य/कृत्य/कर्तव्य परिवर्तन वाला अधारक है।  |
| 17 |     | कार्यकारिणी समिति की बैठकें –   |
|    | 1.  | प्रत्येक 30 दिनों में/प्रतीक गहर कार्यकारिणी अग्रिमी की एक बार बैठक द्वारा आधारक है। यह बैठक प्रियालय परिषद् गोपाल अक्षय जिसी सुनिश्चितक द्वारा पर गुटाई जाती है।   |
|    | 2.  | सदर्य संविध अवधार से प्रियार लिम्बों कर समिति की बैठक का दिव्य गामी प्र स्थान विनियोगित परेगा।  |
|    | 3.  | सदर्य संविध काम से कम 4 दिन भूमि बैठक की लिखित सूचना पर बैठक में विचारार्थी रखे जाने वाले प्रियुओं की सूची के आधा सभी सदर्यों को गोपाल अक्षय गों अनुमति से एग्रेजों से अविरक्ति प्रियुओं पर भी बचा वीज जावेगा।  |
|    | 4.  | समिति की अधिकारियक बैठक काम से कम तो दिन की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है।   |
|    | 5.  | जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्ति) को प्रियों गों स्कूल समय समिति वीज बैठक बताने का विदेश देने का अधिकार होगा, जिससी अनुमतिना अक्षय/सदर्य संविध द्वारा एक साथाह में करना अविवादी होगा।  |
|    | 6.  | समिति गों केन्द्र में विदेश अमा सामने रायति से व सर्वे समर्थते गहर होने पर विशेष गुणपत्र से होगा।   |
|    | 7.  | प्रियालय प्राप्तिना समिति के गहर/सचालन सामनी कियादों वर्षे नियन्त्रण के लिए व्यापक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं द्वार्ता प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण द्वारा दिये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्ति) उत्तरदायी/अधिकृत होना अथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्ति) का विदेश अधिकृत होगा। |
| 18 |     | कोरम  |
|    |     | कार्यकारिणी समिति के काम समर्थन की सम्भावा के एक लियाई से अधिक संविधानी विवरणक आधारक होती है।   |
|    |     | अक्षय एवं उपायक वीज अपार्नाई गों जाने वाली कार्यविधि –  |
|    |     | अक्षय एवं उपायक वीजों की अनुपरिधति में समिति का गोंद अन्य गामा-प्रिया गों विवरण द्वारा वीजवालों द्वारा जाने विद्य द्वारा करवा के लिए वाली अविवादी गुण।  |

20. एजेंटों किंतुओं/मुद्रकों पर निषेध की गयी -  
लालिति के सामूहिक आने वाले सभी मुद्रकों एजेंटों किंतुओं पर निषेध सम्बन्धित होने लाया गया है कि लालिति के अपने से दूसरे लालिति के वृद्धिकार पर लोकों
21. गोटिय की गिरि -  
 1. सभी लोकों को बीच जल्दी का दृश्यों की विशेषता प्राप्त है।  
 2. गोटिय का लड़ाक की जासेही परन्तु लालिति किसी अन्य लिपि से भी उपर गोटिय कर सकते हैं।  
 3. बहार में आने की दृश्यों से लैक का अपना विषयक गठ देगा।
22. निषेधों का संबोधन -  
 1. लालिति की दृश्यों में दृश्यों में सभी निषेधों का संबोधन साथरत लालिति के निषेधों जासेही अन्य लालिति की कार्यकारियों की लैक के विकास सुनाया जाना वाला सदरखों के उत्तराधर लालिति के दृश्यों जासेही।  
 2. साथरत सभी के लालिति सदरखों के सभी निषेधों का अवस्थिता करने के दृश्यों निषेधों में उपलब्ध रहेगा।
23. सदरखत की समाचिति -  
 1. परेन सदरखों के अधिकारियों अन्य सदरखों को अधिकारियों कार्यकारी दृष्टि अपना संगीत सदरखों के कार्यकारियों लालिति का सदरख दृश्ये दृष्टि होना (दृष्टि में जो भी घटते हैं)  
 2. निषेध कारणों के अधार पर भी कार्यकारियों लालिति के सदरखों को सदरखत स्वतंत्री समाचर हो जायेगी।  
     • गति सदरख लालिति नी दीन कार्यकारी दृश्यों में अनुपस्थित रहे।  
     • लालिति के अन्यथा आने वाले निर्दिशी मुद्रकों से सामाजिक गत्योंमार में लिपा हो।  
     • किसी भी कारणवश सदरख की लालिति वाले निषेधों का विशेषज्ञी ना रहे।  
     • कम-ज्ञा द्वारा दोपी छहसाया गया है।
24. रिक्त पदों की भरता -  
 1. गति किसी सदरख के कार्यकाल उत्तर के द्वारा भारित पद रिक्त होने के कारण सामाजिक हो जाए तो रिक्त होने वाले पद को सामित्रि द्वारा सभी निषेधों का पालन करते हुए वह जायेगा।  
 2. सदरखत समापन के कारण रिक्त हुए पद पर निर्वाचित/मनोनीत सदरख वह कार्यकाल उस सदरख के बचे हुए कार्यकाल जितना ही होना लगा निवाचन/मनोनीत उस वर्ष से ही निषेध जायेगा जिस वर्ष का पद रिक्त हुआ है।
25. लालिति का कोष -  
लालिति द्वारा निषेध कोष व परिवाला कोष अलग अलग निषेधकार से रखिये लालिति  
 (i) विकास कोष -  
 1. साथर सरकार/केंद्र सरकार द्वारा बलाई जा रही विकास गोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त लालिति।  
 2. अधिकारियों व नामांकनों से विकास कोष द्वारा प्राप्त अनुदान/सहायता।  
 3. अन्य फृद्धिकार प्रकृति की जाय।  
 4. साथर सरकार/सामाजिक प्रशिकारी/संसाध/निकाय अंतर्गत अन्य विकास संसाध/अनुदान।

(2) यदि निकास कोष में सोनदान सामग्री के रूप में प्राप्त होता है तो उसके अनुगूण वाले दिसाब भी लेखी में रखा जायेगा तथा सामग्री की रक्कम एटी ररजिस्टर में दी जायेगी।

(2) परिवालन गोष -

1. गोष

(2) शुल्क परों और उनका अवलोकन पापता

3. अन्य अपूर्जीपत्र पापिता।

- (3) 1. लोह पानी वाले दोनों कोषों की समेत लाइन नियमी राष्ट्रीयकृत आकाम साकारे केरों में समेत के नाम से लिखे गये लाहे में लोगों द्वारा एवं लेखा जैशा एवं दी गोक्कुल वाली के प्राप्ति से आपत्ति नियम जायेगा।  
2. अन्य एवं सार्वत्र सामिति के साथी इकाइयों दी जैक दी लेन देन साधन होगा।  
3. नियालय अवसर समेत की गोक्कुल में पर्यावरण लाने एवं आय के कारे वे नियालय नियम अपने अपने आय के लिए का अनुप्रीत नियम जाना चाहिए।

25. लाग पर प्रतिक्रिया -

नियालय नियमी समाप्ति/जाल को नियालय प्रबन्धन समिति के दावर सा अन्य नियमी स्वामिति के प्रब्लेम/समीक्षा रूप से जा तो युग्मान नियम जायेगा जो नियम अपेक्षा अध्या लालान्तरित नियम जायेगा।

27. कार्यालय पत्र व्यवहार एवं समिदा -

1. नियालय प्रबन्धन समिति वा संकरा समिति विद्यालय की ओर से व्यवसाय कारों में नियेटन के लिए समेत से पूरी गे अनुग्रहन लेनार नियेटन इकाइयाने पर व्यवहार करने हेतु अधिकता छोपा।  
2. समेत के व्यवसाय कार्यालयी पत्र व्यवहार पर सावर समिदा हुएगाएव करने हेतु अधिकता होगा।

28. समिति के गठन सम्बन्धी दिशा नियर्देशों में परिवर्तन -

समिति के गठन गे आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के नियेशानुसार य राज्य सरकार गे युक्ति-युक्ति से परिवर्तन अवश्या जारीगान नियम जा रहेगा।

29. समिति का विघटन -

यदि समिति का विघटन आवश्यक हुआ तो समिति वो रायरत बल य अवल सम्पत्ति समान उपर्युक्त गाली समिति वो हस्तान्तरित कर दी जायेगी। नियालय प्रबन्धन समिति को नियालय की गल य अवल सापाति वो तैयारी रखने तथा अन्यथा खुद युक्त करने का अविकार नहीं होगा। समस्त सम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार वग ही रहेगा।

30. सरका के लेखे-जोखे का निरीक्षण -

समानीय प्राप्तिकारी, राज्य सरकार एवं कंच्च सरकार के प्रतिनिधियों को समिति के नियालय का नियेशान वरने वत पूरी अपेक्षार होगा य उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जायेगी।



### विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्य/कर्तव्य/कुरुते

- विद्यालय के विद्याकालार्थी/कार्यकरण को गठनीतर करना -
  - विद्यालय के आस पड़ीश में लंबे नामी जाती हुई लकड़ी नमै वहाँ बोलिएगी कि आप-ए एवं संस्कारक तरीकों में जानकारी देना प्राप्त राज ही सब सहजतर स्वास्थ्यपूर्ण परिवेश। विद्यालय जाती-नित अधिकारीक एवं संस्कारक ने कहा है कि जानकारी देना।
  - प्रथमें विद्यालय में नियुक्त अधिकारी के विद्यालय में आविष्ट लंबे में विद्यार्थियों एवं लकड़ी पालने वाला भिन्न-भौतिक संस्कारकों के साथ-साथीयों को लंबा और लकड़ी के लारे में उपार्थिति में विद्यार्थियों विद्या गुण करके वह लापत्र विद्यार्थियों की यह प्रदृष्ट परिवर्ती और छिड़ी भव-वर्ष सुधार जानकारी के लारे में अपना करना वह विद्यार्थियों/विद्यार्थियों द्वारा पढ़ने वाला प्रादृष्ट विद्या जालाया नहीं करना, जुनियोरिट करेगी।
  - दूसरी वर्षीय जन-संस्कार/जन-प्रभावण अधिकारी (प्रिमियिक) राजत यात्रीयों वा आप विद्यालय, जन-वीरीय संस्कारों/विद्यार्थीयों वा लकड़ी विद्यालय प्रबलों वा संसद के विवरणों से अधिकारीकर्त्तव्यों/उचित जांचों की शुरूआत करेगी/महोर्नीटोरिंग करेगी।
  - विद्यालय के आस पड़ीरा के ६-१५ आयु वर्ष के सभी वालोंने के विद्यालय में अधिकारी वाला संस्कारी राजत उपार्थिति को जुनियोरिट करेगी।
  - विद्यालय के लिये राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों वा यात्री वालोंने नमै गालो-गो पर विद्यार्थी रखेगी।
  - वाले अधिकारीयों के द्वारा विद्यार्थकर वालोंने नमै गौहिक एवं यातारिक प्रताङ्कजा संस्कारी प्रकरणों प्रयोग नहीं दिये जाने, विद्युलं विद्या उपलब्ध कराने संस्कारी प्रवचनाओं के उत्तमान राज्यकारी प्रकरणों को राज्यीय प्रारंभिकता के व्यापार में लायेगी।
  - अधिकार्यकालार्थी वा विद्यार्थीकरण करते हुए थोजनों का निर्माण करेंगी तथा ६-१५ आयु वर्ष के विद्यालय में कभी भी प्रवेश ने लेने वाले (विक्र एन-रोल्ड) वाला झूँप आउट वालों के लिए लिये गये विद्या व्यवस्था संबंधी प्रारंभानों की विद्यार्थियों पर विद्यार्थी रखेंगी।
  - विसंप अविद्यकता वाले एवं अधिकार्य वालोंको के विद्यार्थीकरण छासकं विद्यालय में नापाकाता, भीखने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विद्यार्थी रखेंगी तथा यतिविधियों में उनकी यातीरीयी तथा प्रारंभिक विद्या पूर्ण करता जुनियोरिट करेगी।
  - विद्यालय में भव्यताएँ योजना योजना के विद्यार्थियों पर विद्यार्थी रखेंगी।
  - विद्यालय की आप एवं यथा वह वार्षिक लंबा तैयार करेगी।
  - विद्यालय की शैक्षणिक विद्यार्थियों की विद्यार्थियों सर्विद्या कर विद्या में युग्मात्मक सहार लाया।
  - राज्य सरकार/जन-विद्या अधिकारी अधिकारी विद्यालय प्राप्तिकृत राज्य द्वारा जारी विद्या नियमों की पालना जुनियोरिट करते हुए विद्यालय में गौहिक व्यवस्थायें जैसे खेल प्रैदान, यातारिकी नौकर कक्षा कक्ष, युवकायं कर्मीकर एवं दीवां के पानी आदि की व्यवस्था जुनियोरिट करता।
  - राज्य-सामग्री पर विद्यालय के वालोंने के स्वास्थ्य की जांच करता वहा वालों के लिए विद्यार्थियों स्वास्थ्य कीमतों का आवाजान करवाना।

- राष्ट्रीय सम्मेलन पर हुए आवेदन वर्त पर नियंत्रण करना तथा उपकरणों का नियंत्रण इस द्वारा शुल्कित रूप से करना इसके लिए विशुल्क पाया जाना चाहिए कि नियंत्रण सम्पर्की उत्तराधिकारी और सम्पर्की उपकरण करना।
  - अधिकारीहोने वाले व्यक्तिगत जीव सम्मेलन पर हुए शुल्क जैसे आवृत्तित रूप से करना चाहिए ताकि उपकरणों का बचाव करना चाहिए एवं उपकरणों को सम्मानित करना।
  - नियालय में आवृत्तित जीवों को नियंत्रित शुल्क दी जाए ताकि विशुल्क पाया जाए ताकि नियंत्रण विभाग नियालय का सभी पाया जाए ताकि नियंत्रण एवं शिक्षानीवृत्ति अधिकारीहोने के पाया एवं उपकरण नियालय में आवृत्तित जीवों को नियंत्रित करना जाए ताकि एवं सम्मान की जाए जो इस विभाग में आवृत्तित जीवों वाले इस विभागमें में सामग्री जैसे नेट फोटोकॉपी वर्तना।

2. विद्यालय के विकास हेतु निकास योजना तैयार करना और उत्तराधिकारी विकास योजना –

  - नियालय परन्तु सीमित तथा नियंत्रित जीवों की समाविति से जीव जाने और फूल नियंत्रण विभाग गत गठन हुआ है एवं नियालय निकास योजना का नियंत्रित करेगी।
  - अपर्याप्त नियालय निकास योजना एक जीव जानीय योजना होगी, जो अपने जीव को जीव जानीकर योजनाओं को नियंत्रकर करनी जाएगी।
  - नियालय निकास योजना में नियालय नियंत्रित जागरूकताओं जापें तभी जारीगी।
  - (अ) प्रत्येक वार वर्ष कल्यान अनुसारि नामांकन।
  - (ब) राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित गति एवं घटनाओं के अधार पर जीव जीवों की अवधि को लिए जाना । से ५ एवं बढ़ा ६ ते ८ तक लिए पुष्टक-पुस्तक अधिकारी, विषयालय विभाग अधिकारी एवं विद्यालय विभाग अधिकारीहोने की अवधारणा।
  - (स) जाजी सरकार द्वारा नियंत्रित गति एवं घटनाओं के अनुसार जीव जीवों की अवधि को लिए अधिकारी गोपीनाथ रायांगों एवं उपकरणों की अवधारणा।
  - (द) अपर्याप्त नियंत्रित (ए) य (सं.) जीव जानीय घटनाओं की पूरी हेतु जीव जीवों की अवधि में वर्तन अधिकारी विभागीय अवधारणात्मक। इन अवधारणात्मकों के अन्तर्गत विद्यालय की पाया 4 में अन्तर्गत ऐसे जानकारी, जिन्हें 6 वर्ष से अधिक जीव जानीय जीव विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाये हो अथवा यहि प्रवेश दिया जाये हो तो उसके अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की हो तो उसके जराने आयु के बनुसार वज्ञा में प्रमेश देने पर जन्म वालने के रायकाश उत्तरे के लिए आवश्यक विशेष प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यव्याप्ति वालाओं को नियंत्रित पायात्मक प्रत्यक्ष उपलब्ध कराने पर जीवों जाता व्यव्याप्ति के प्रत्यक्षाओं के अन्तर्गत विद्यालय की विद्यालयारियों को नियंत्रण हेतु आवश्यक हो।
  - अपर्याप्त अन्तर्गत पर तैयार की गई विद्यालय निकास योजना पर विद्यालय प्रबन्धन राजीति के अधार्य/व्यापारी एवं संसदीय समिति के द्वारा दीये जाएंगे तथा इसे नियंत्रित जीवों की समाविति रो पूरे स्थानीय प्रशिक्षकों को प्रत्यक्ष नियंत्रण जाता जाएगा।

3. राज्य सरकार या राजनीय प्राविकारी/राजस्थान/निकाय अध्यात्म किसी अन्य स्त्रीत रो प्राप्त अनुदानों/राजाधता राशियों के उपयोग को मौनींटर करना --

  - पौराणिक गृहों में आग व जल का नामांकन करना नियंत्रित व्यव्याप्ति में आग चालनीय जीव जीवों को दूर करना, विषयालय संसदीय रायकाश जीवों वर्त पर विचार कर विद्यालय विद्यालय की सर्वि के प्रत्यक्ष रायकाश राया वर्त अन्तर्गत दावावे प्रत्यक्ष उपलब्ध कराना।
  - विद्यालय एवं नियालय प्रबन्धन सीमित के समर्थ जीवों एवं सम्पर्कारियों का परिवर्तन करना।

